>

Title: Need to ban tobacco based products being manufactured in violation of prescribed guidelines in a factory at Sidguan in Sagar parliamentary constituency, Madhya Pradesh.

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): सागर संसदीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र सिद्गुवां में स्थित कारखाने में तंबाकू आधारित पदार्थ का निर्माण व पैकेजिंग कार्य खुले शेड में किया जा रहा है। इस पदार्थ के मिश्रण में 78 प्रतिशत से अधिक तंबाकू है जिसके बारीक कण और तीक्ष्ण गंध वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रतिबंधित पालीथीन के पाउच में पैक इस प्रोडक्ट में गांजा, धतूरा, केमिकल जैसे मादक पदार्थ मिलाये जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य के लिए घातक तंबाकू के संबंध में पाउच/पैकेज पर चेतावनी संदेश स्पष्ट नहीं है और न ही यह उल्लेख है कि पदार्थ के मिश्रण के टार और निकोटीन का प्रतिशत क्या है। इसकी ग्राइंडिंग और पैकेजिंग कर रहे श्रमिकों से बगैर मास्क और हेण्ड ग्लोब्स के कार्य कराया जा रहा है जिससे वे बीमार हो रहे हैं। फैक्ट्री में श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। फैक्ट्री के प्रदूषण से क्षेत्र के रहवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सिद्गुवां ग्राम पंचायत ने इस फैक्ट्री को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है। अतः इस फैक्ट्री में तंबाकू पदार्थों के निर्माण पर तत्काल प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता है।